

न्यायालय:-षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक/क्यू/न्याया0/2017
प्रति,

रायपुर, दिनांक-04.10.2017

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय पृ0क्रमांक....क..../दो-12-5-2009 रायपुर, दिनांक 01.09.17

-- 00 --

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहारवादों की विशेष सूची तैयार की गयी है जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

विशेष सूची (अस्थायी)

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	वादी अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	संस्थित दिनांक	पेशी दिनांक	वर्तमान स्थिति
1.	133ए/11	श्रीमती मीनाक्षी त्रिवेदी वगैरे विरुद्ध श्रीमती उषा शुक्ला वगैरह	श्री ए0के0 कटारिया	श्री शिशिर भंडारकर, श्री सुधीर अग्रवाल श्री राजकुमार शुक्ला, श्री एस.के. सिंह, श्री शशिकांत मिश्रा श्री एस0के0 पंसारी, श्री एम0जेड0 खान,	30.09.03	04.10.17	आवेदन पर तर्क हेतु
2.	50अ/13	भुनु वगै. वि. आफताब सिद्दीकी	श्री सुधांशु शुक्ला	ए.के. कटारिया	17.09.09	10.10.17	उचित आदेश (वादी साक्ष्य) हेतु

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 04/10/2017

सही/-

(लीलाधर सारथी)

षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

क्रमशः ...2....

पृ0कमाक / क्यू / न्याया0 / 2017

रायपुर, दिनांक—04.10.2017

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, संबंधित अधिवक्ता को सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
3. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
- ✓ 4. कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईट में उपलब्ध कराये जाने हेतु।

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पांच एवं दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहार वाद की विशेष सूची तैयार की गयी है, उक्त प्रकरणों में अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदाय नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन-प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरंतर तब तक नियत किया जावेगा, जब तक उभय पक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावे व प्रकरण अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे। सूची में दर्शाये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो दिनांक 07.10.2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(लीलाधर सारथी)
षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)